अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाखा का गठन मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 05.03.2016 को किया गया था। इस शाखा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित होती हैं।

(1) अनुसंधान के अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (SFRI) का कार्य आता है। SFRI में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी संचालक नियुक्त हैं, जिनके द्वारा कार्य किया जाता है।

(2) प्रशिक्षण में मानव संसाधन विकास का कार्य किया जाता है, जिस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ है।

वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल उन्नयन एवं क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 1997–98 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय में मानव संसाधन विकास शाखा गठित किया गया।

1. प्रशिक्षण

वानिकी एक तकनीकी विषय है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु वनाधिकारियों एवं अधीनस्थ कार्यपालिक अमले को वानिकी तथा अन्य सम्बद्ध विषयों के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल तथा दुर्गम क्षेत्रों एवं कठिन परिस्थितियों में कार्य करने हेतु समुचित अभिवृत्ति (attitude) आवश्यक है, जो कि उचित प्रशिक्षण से ही संभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग की स्थापना के समय से ही वन रक्षक से लेकर भारतीय वन सेवा अधिकारियों तक के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था तथा प्रशिक्षण हेतु देश में प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में वन अधिकारियों/ कर्मचारियों को वृत्तिक (professional) प्रशिक्षण दिया जाता है।

वानिकी क्षेत्र के समक्ष निरन्तर नई–नई चुनौतियाँ आती रहती है जिनसे निपटने के लिए नवीनतम ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही बदली हुई परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अभिवृत्ति परिवर्तन भी आवश्यक है। अतः भर्ती के समय प्राप्त प्रवर्तन प्रशिक्षण (Induction training) के अलावा सेवाकाल के दौरान भी समय–समय पर आवश्यकतानुसार अनुस्थापन पाठ्यक्रम (Orientation course) प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher course) प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

राज्य में विद्यमान प्रशिक्षण अधोसंरचना

- वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय

प्रदेश में वन क्षेत्रपालों के प्रशिक्षण हेतु बालाघाट में वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय स्थापित है। प्रारम्भ में इसे वनपाल स्तर के वन कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया था। इस संस्था को देश की सबसे पुरानी वन प्रशिक्षण शाला होने का भी गौरव प्राप्त है। बाद में इसका उन्नयन, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय के स्तर का किया गया। पहले इसका संचालन/ नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता था परन्तु अब यह राज्य शासन के अधीन है। इस संस्था के पास वृक्षाच्छादित सुन्दर परिसर, प्रशासनिक भवन, छात्रावास, क्रीडांगन, व्याख्यान कक्ष एवं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अन्य अधोसंरचना उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार इस महाविद्यालय में समय–समय पर वनरक्षक, वनपाल हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

निरंतर.....2

• वनरक्षक एवं वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय

मध्य प्रदेश के 08 वन विद्यालयों में वनपालों एवं वन रक्षकों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त समय–समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण के उच्च मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये एवं वर्तमान में आधुनिक तकनीकों का अनुसरण करते हुये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बहुआयामी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विद्यालय निम्नानुसार हैं:–

वनरक्षक एवं वनपाल प्रशिक्षण शालायें

क्रं.	वन विद्यालय	नियंत्रणकर्ता अधिकारी
1	वन विद्यालय, बैतूल	संचालक, वन विद्यालय बैतूल
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	संचालक, वन विद्यालय अमरकंटक
3	वन विद्यालय, शिवपुरी	संचालक, वन विद्यालय शिवपुरी
4	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन	वनमंडालधिकारी, उत्तर सिवनी
5	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी	उप संचालक, सतपुड़ा बाघ रिजर्व, पचमढ़ी
6	वन विद्यालय, गोविंदगढ़	वनमंडालधिकारी, रीवा वनमंडल
7	वन विद्यालय, झाबुआ	वनमंडालधिकारी, झाबुआ वनमंडल
8	जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला	उप संचालक, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, उमरिया

इन प्रशिक्षण शालाओं का उपयोग सीधी भर्ती के वन रक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण तथा पदोन्नत वन पालों के सेवा कालीन प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। इन शालाओं के प्रभारी पदों पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है। वे तालिका में दर्शित नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इन प्रशिक्षण शालाओं में भी प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे प्रशासनिक खण्ड, व्याख्यान कक्ष, क्रीड़ागन, छात्रावास इत्यादि उपलब्ध है।

• सीधी भर्ती के वन रक्षकों का 6 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

प्रदेश के 01 वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय एवं 08 वन विद्यालयों में सीधी भर्ती के वन रक्षकों के लिये 6 माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न वानिकी विषयों एवं अन्य विषयों– कम्प्यूटर कार्य, अनुशासन, नेतृत्व कौशल, संवाद कौशल पर व्याख्यान एवं व्यवहारिक/प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों/राष्ट्रीय उद्यानों के वनों एवं वन्यप्राणी पर्यावास स्थलों एवं उनमें चल रहे विभिन्न वानिकी एवं अन्य कार्यों का अध्ययन करने बावत् 15 दिवसीय अध्ययन प्रवास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन पी.टी. एवं खेलकूद आयोजित किये जाते हैं। वन रक्षकों को पुलिस लाईन में शस्त्र अभ्यास का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक उपचार का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वन विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होती है। प्रशिक्षण के अंत में संबंधित विषयों की परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्तमान में दिनांक 01.10.2018 से आयोजित प्रशिक्षण सत्र हेतु 685 सीट आवंटन की गई है।

निरंतर.....3

• सेवारत पदोन्नत वनपालों का 45 दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

वर्तमान में प्रदेश के वन विद्यालयों में पदोन्नत वनपालों के लिये 45 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किया जाता है।

2. सीधी भर्ती के वन क्षेत्रपालों का 18 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

वर्तमान में प्रदेश में सीधी भर्ती के वन क्षेत्रपालों के लिए भर्ती के समय 18 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा देश के विभिन्न वन क्षेत्रपाल महाविद्यालयों/वन अकादमियों में सीटें आवंटित की जाती हैं, जिसके अनुसार ही इनमें सीधी भर्ती के वन क्षेत्रपालों के लिये 18 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं।

वर्तमान में परीक्षा वर्ष 2017 के सीधी भर्ती किये गये 150 वनक्षेत्रपालों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2018–2020 के लिये निम्नानुसार वन अकादमियों में सीट आवंटित की गई हैः–

क्रं.	वन अकादमी	प्रशिक्षण सत्र	आवंटित सीटें	सत्र प्रारंभ दिनांक
1	केन्द्रीय अकादमी वन शिक्षा, कुर्सियोंग	2018–20	36	08.10.2018
2	तमिलनाडु वन अकादमी, कोयम्बटूर	––"––	32	29.10.2018
3	तेलंगाना राज्य वन अकादमी, दुलापल्ली, हैदराबाद (तेलंगाना)	––"––	82	19.11.2018
		योग–	150	

3. सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षकों का 2 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

प्रदेश में सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षकों के लिए भर्ती के समय 2 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून एवं केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा कोयम्बटूर (तमिलनाडू राज्य) में सीटें आवंटित की जाती हैं, जिसके अनुसार ही इनमें सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षकों के 2 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं। परीक्षा 2017 के आधार पर सीधी भर्ती किये गये 25 सहायक वन संरक्षकों के लिये दिनांक 12.11.2018 से प्रारंभ दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा कोयम्बटूर में 21 सीट आवंटित की गई है।

4. भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये भारत सरकार के द्वारा आयोजित अल्प अवधि अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों पर अल्प अवधि के (5 दिवसीय) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

Mandatory Mid Career Training Programme 07–09, 16–18 तथा 26–28 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत यह प्रशिक्षण 08 सप्ताह का भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेश प्रशिक्षण भी सम्मिलित है।

5. अन्य प्रशिक्षणः–

उपरोक्त नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये मध्य प्रदेश एवं देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न सामयिक एवं तकनीकी विषयों पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

6. विभागीय परीक्षा :–

सीधी भर्ती के राजपत्रित वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा

(1) सीधी भर्ती के भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वन क्षेत्रपालों के लिये भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर माह जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा का आयोजन वन विभाग द्वारा किया जाता है।

निरंतर.....4

(2) यह परीक्षा उन्हीं वस्तुविषयों पर ली जायेगी, जोकि वन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

(3) परीक्षा में सहायक वन संरक्षक एवं परिवीक्षाधीन भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे (प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा):–

1. वन विधि
2. सामान्य विधि
3. प्रक्रिया तथा लेखा
4. हिन्दी

उपरोक्त प्रत्येक प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम अंक 65 निर्धारित हैं।

(4) वनक्षेत्रपालों के लिये निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे (प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा):–

1. प्रक्रिया
2. लेखा
3. सामान्य विधि
4. हिन्दी

उपरोक्त प्रत्येक प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम अंक 60 निर्धारित हैं।

(5) ऐसे किसी भी अधिकारी को हिन्दी में उत्तीर्ण माना जायेगा यदि वह नीचे दी गई शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूरी करता हो –

(क) उसने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से या हिन्दी विषय लेकर उत्तीर्ण की हों।

(ख) उसकी मातृभाषा हिन्दी हो।

(ग) उसने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2455/1775/1(3)/60 दिनांक 17.10.1960 में मैट्रिक के समकक्ष घोषित की गई हिन्दी की परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(6) यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो वह अगले सत्रों में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है परन्तु इसमें उसे उन प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें वह पहले ही उर्त्तीण हो चुका है।

(7) जब तक किसी व्यक्ति द्वारा समस्त लिखित प्रश्न पत्रों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर लिये जाते हैं, तब तक न तो उसे आगामी देय वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी और न ही उसका सेवा में स्थायीकरण किया जायेगा।

7. बजट प्रावधानः–

राज्य शासन से आवंटन :– प्रदेश के 09 विद्यालयों के संचालन एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भुगतान हेतु आयोजना बजट मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानव संसाधन विकास शाखा द्वारा संचालित योजना 4462 वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन के अंतर्गत उप मदों (केन्द्रीयकृत मदो को छोड़कर) में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि एवं व्यय निम्नानुसार हैः–

बजट उप मद	प्राप्त बजट (रु.लाख)	वन विद्यालयों को आवंटित राशि (रु.लाख)
12–मजदूरी	140.00	140.00
22–कार्यालय व्यय–008 अन्य नैमतिक व्यय	30.60	14.30
24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण 002 प्रशिक्षण	142.80	88.10
33 अनुरक्षण–006 वाहन अनुरक्षण	0.44	0.27
41–छात्रवृत्ति एवं 002 वृत्तियां	350.00	40.56
51–अन्य प्रभार	7.65	5.75
योग–	671.49	288.98

8. बाह्य परियोजना का क्रियान्वयनः–

प्रदेश के 4 वन विद्यालयों– वन विद्यालय, शिवपुरी, वन विद्यालय, बैतूल, वन विद्यालय, अमरकंटक एवं राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (जिला–सिवनी) में

निरंतर.....5

इन प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना, फर्नीचर एव उपकरणों तथा प्रशिक्षण विषयवस्तु में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जायका परियोजना निर्देशालय) के द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:–

कार्य विवरण	वन विद्यालय	स्वीकृत राशि (लाख में)	जायका द्वारा विमुक्त राशि (लाख में)	माह अक्टूबर 2018 तक का व्यय
नव निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य	बैतूल	722.43	650.19	666.16
	अमरकंटक	681.10	599.96	568.07
	शिवपुरी	493.70	449.31	452.99
	लखनादौन	798.81	732.74	716.69
	योग–	**2696.04**	**2432.20**	**2403.91**
फर्नीचर एवं उपकरण	बैतूल	60.80	48.64	49.56
	अमरकंटक	60.80	48.64	50.57
	शिवपुरी	60.80	48.64	55.85
	लखनादौन	60.80	48.64	49.36
	योग–	**243.20**	**194.56**	**205.33**
साफ्ट कम्पोनेन्ट	विषय वस्तु हेतु नियुक्त सलाहकार	43.35	40.70	35.99
	कुल योग–	**2982.59**	**2982.59**	**2667.23**

वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अंतिम चरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त शेष अन्य वन विद्यालय क्रमशः बालाघाट, गोविंदगढ़, झाबुआ, पचमढ़ी एवं ताला हेतु जायका परियोजना के अंतर्गत फैस–।। के नये प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 10.01.2018 को प्रेषित किये जा चके हैं।

9. वन विद्यालयों में स्वीकृत/कार्यरत अमला :–

क्रं.	वन विद्यालय	स्वीकृत/कार्यरत पद							
		मु.व.सं.		उ.व.सं.		स.व.सं.		व.क्षे.	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1	व.क्षे. महा., बालाघाट	1	0	3	0	5	3	2	0
2	वन विद्यालय, बैतूल	–	–	1	0	2	1	4	3
3	वन वि., अमरकंटक	–	–	1	0	4	1	5	2
4	वन वि., शिवपुरी	–	–	1	0	3	1	3	1
5	वन वि., लाखनादौन	–	–	–	–	2	0	3	1
6	वन वि., पचमढ़ी	–	–	–	–	2	1	2	2
7	वन वि., गोविंदगढ़	–	–	–	–	2	2	3	1
8	वन वि. झाबुआ	–	–	–	–	2	2	2	0
9	वन वि., ताला	–	–	–	–	1	0	1	1
	योग–	1	0	6	0	23	11	25	11